**(भारत के राजपत्र असाधारण, भाग-1, खण्ड-1 में प्रकाशनार्थ)**

**भारत सरकार**
**वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय**
**वाणिज्य विभाग**
**विदेश व्यापार महानिदेशालय**
**उद्योग भवन, नई दिल्ली-110011**

**सार्वजनिक सूचना सं0 31 (आर ई 2012)/2009-2014**
**नई दिल्ली, दिनांक 21 नवम्बर, 2012**

**विषय : प्रक्रिया पुस्तक खण्ड-1 2009-14 के पैरा 8.3.1(i) में संशोधन - माल के प्राप्तकर्त्ता द्वारा टीईडी का दावा ।**

विदेश व्यापार नीति, 2009-2014 के पैराग्राफ 2.4 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए महानिदेशक, विदेश व्यापार एतदद्वारा प्रक्रिया पुस्तक 2009-2014 के पैरा 8.3.1(i) में ''**प्राप्तकर्त्ता ए एन एफ - 8 के अनुलग्नक - IV में दिए गए प्रपत्र में आपूर्तिकर्त्ता से एक उपयुक्त दावा परित्याग पत्र प्रस्तुत करके टी ई डी रिफण्ड का दावा भी कर सकता है''** वाक्य को पैरा के अंत में जोड़ते हुए संशोधन करते है ।

2(i) संशोधित पैरा 8.3.1(i) को निम्नानुसार पढ़ा जाएगा :

''निर्धारित दस्तावेजों के साथ आयात निर्यात प्रपत्र 8 में आवेदन, संबंधित क्षेत्रीय प्राधिकारी को पंजीकृत कार्यालय या मुख्य कार्यालय या शाखा कार्यालय या आपूर्तिकर्ता की विनिर्माण इकाई द्वारा किया जाएगा। जहाँ आवेदक आपूर्तिकर्ता का शाखा कार्यालय या विनिर्माण इकाई है, वह वैध आर सी एम सी की स्व-प्रमाणित प्रति प्रस्तुत करेगा। प्राप्तकर्त्ता, आयात निर्यात प्रपत्र 8 के अनुलग्नक III में दिए प्रपत्र के आपूर्त्ति कर्त्ता से उपयुक्त घोषणा पत्र प्रस्तुत करने पर शुल्क वापसी लाभों का दावा भी कर सकता है। टीईडी रिफंड के मामले में, माल प्राप्तकर्ता द्वारा आयात-निर्यात प्रपत्र 8 के परिशिष्ट-II में दिए गए प्रपत्र में घोषणा प्रस्तुत करनी होगी कि उन्होंने सेनवेट क्रेडिट का लाभ नहीं उठाया है और अन्य निर्धारित दस्तावेज भी संलग्न करने होंगे। प्राप्तकर्त्ता ए एन एफ - 8 के अनुलग्नक - IV में दिए गए प्रपत्र में आपूर्तिकर्त्ता से एक उपयुक्त दावा परित्याग पत्र प्रस्तुत करके टी ई डी रिफण्ड का दावा भी कर सकता है ।''

(ii) ए एन एफ - 8 के अनुलग्नक IV का प्रपत्र इस सार्वजनिक सूचना के साथ संलग्न है ।

3. यह सार्वजनिक सूचना 01.03.2011 से प्रभावी होगी, जिस दिन सार्वजनिक सूचना सं0 35(आर ई 2010)/2009-2014 दिनांक 1 मार्च, 2011 जारी किया गया था ।

4. <u>इस सार्वजनिक सूचना का प्रभाव :</u> माल के प्राप्तकर्त्ता अथवा माल के आपूर्तिकर्त्ता में से कोई भी उपयुक्त दावा परित्याग पत्र के साथ टी ई डी रिफंड का दावा कर सकता है ।

**(अनुप के0 पुजारी)**
**विदेश व्यापार महानिदेशक**
**ई मेल : dgft@nic.in**

**(फाइल संख्या - 01/92/180/118/एएम 13/पीसी-6 से जारी)**

**अनुलग्नक-IV**

<u>टी ई डी रिफण्ड का दावा नहीं करने हेतु दावा परित्याग का प्रपत्र</u>

मैं, (नाम और पदनाम) .............................. मैसर्स .....................................(आपूर्तिकर्ता का नाम व पता) की ओर से एतद्द्वारा प्रमाणित करता हूँ कि हमने मैसर्स ................................... (प्राप्तकर्ता का नाम व पता) को निम्नलिखित माल भेजा हैः

| क्रम सं0 | बीजक सं0 और दिनांक | माल का विवरण | इकाई | मात्रा | मूल्य |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |
| | | | | | |

2. हम आगे यह उल्लेख करते हैं कि हमने टी ई डी रिफण्ड का कोई लाभ प्राप्त नहीं किया है और भविष्य में भी ऐसा लाभ प्राप्त नहीं करेंगे तथा हमें मैसर्स ................................. (प्राप्तकर्ता का नाम व पता) द्वारा ऊपर उल्लिखित आपूर्ति पर टी ई डी रिफण्ड वसूल करने पर कोई आपत्ति नहीं है ।

3. मैं / हम एतद्द्वारा प्रमाणित करता हूँ/करते हैं कि उपरोक्त सूचना मेरी जानकारी के अनुसार सत्य और सही हैं । यदि यथासंशोधित विदेश व्यापार (विकास और विनियमन) अधिनियम 1992 के प्रावधानों के अनुसार कोई भी जानकारी गलत या झूठी साबित होगी तो मुझे/हमें कोई भी दण्डात्मक कार्रवाई भुगतनी पड़ सकती है ।

भवदीय,

हस्ताक्षर (प्राधिकृत हस्ताक्षरी)
पूरा नाम
पदनाम
कंपनी का नाम
दूरभाष सं0
ई मेलः
पता
फैक्स सं0

टिप्पणीः **घोषणा पत्र आपूर्तिकर्ता के पत्र शीर्ष पर प्रस्तुत करें ।**